

Quick Redressal of Problems through Open House Discussions *Face to Face Interaction is the Key*

Under the CitizensUp project one Open House Discussion was conducted between block level Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) service providers and entitlement holders at Madhorajpura *Gram Panchayat*, Phagi on August 20, 2012. Bhura Ram Balai, Block Development Officer, Phagi; P R Sharma, Adviser, Minister of Rural Development, Government of Rajasthan; three *Sarpanches* of nearby *gram panchayats*; Local Elected Public representatives and more than 150 MGNREGS entitlements/beneficiaries (mostly women) participated in the discussions. This discussion was very important for entitlements, especially women so that they could raise their grievances, complaints and problems related to MGNREGS work.



During the discussions, many issues were raised by participants especially women. These issues were related to fewer wages, delayed and non-payment of wages, faulty task measurement process, no work on demand, lack of worksite facilities, corruption in the MGNREGS, non-action of the *Panchayat* staff on MGNREGS complaints etc. Women entitlement holders said that some of the men workers (who are part of the women groups) do not work at all; and as a result women members of the group have to complete the given task additionally. Though they do not want such inactive men folks in their group but it happens since groups are formed by *gram panchayats*. The BDO of the block accepted all grievances of the MGNREGS workers and announced that the groups in *gram panchayats* will be formed on the basis of preferences of entitlement holders and action on grievances and issues raised will be taken very soon.

Story Telling and Writeshop of the CGCCs

A day-long Story Telling and Writeshops were organised on August 06, 2012 and September 24, 2012 respectively. In the event 08 Consortium of Groups for Combating Corruption (CGCCs) from all the targeted blocks participated to share their experiences and narrated grassroots stories and wrote them on the spot.

All the CGCCs shared their survey experiences. One of the CGCCs narrated that mates are not working properly due to lack of training. They neither communicate with the MGNREGS workers nor enter the daily tasks and wages in the job cards of workers. CGCCs said that some communities such as *Bagariya* or *Bavariyas*, *Nat*, *Iadoliya-Luhars*, *Bhands*, *Kanjars* etc. are still not having job cards and devoid of its benefits. Some of them having ration cards applied for job cards but *Gram Panchayat* officials are denying them to issue new job cards. In the case of *Bagariya* community, many people of *Mojamabad* village in *Duduare*, are either not getting job cards or job of 100 days. Issuance of new job cards is a costly affair for them since *Gram Panchayat* officials ask for an affidavit stating that the concerned person is living independently and wants to have a job card to work in MGNREGS; and for that agents are charging around ₹400-500.

One of the CGCC while narrated his own experience said that the mate of his *Gram Panchayat* withdrew ₹300 in his name against the wages of 15 days despite the fact that he never worked in MGNREGS. Now he is in the process of getting back ₹300 from the mate and depositing the money back in the *Gram Panchayat* account. One CGCC mentioned that women are facing problems at worksites regarding getting fewer wage and presented a case of *Beedoly Gram Panchayat*. He compared three must rolls (60 beneficiaries=Males-04=wages ₹133, 80 beneficiaries=Male-15=wages-110, beneficiaries=100=Males-20, wages ₹85) which tells that as the number of males increases in must-rolls the wages rate go down since male folks do work and pressurise the female group members to finish their work as well.

Supreme Court Ruling Stumps RTI Fraternity

Only Chief Justice of High Courts or judge of Supreme Court can become CIC

Supreme Court's ruling on appointments to the Central and State Information Commissions has shaken the world of Right to Information (RTI) with activists and Information Commissioners wondering if the order will effectively halt the functioning of the Commissions.

Asked Chief Information Commissioner (CIC) Satyananda Mishra: "Does the ruling mean that the RTI Act stands amended *suo motu*?" He convened an emergency meeting to understand the import of the ruling, which seeks a complete overhaul of the system of Information Commissions. He also wants the Union Law Ministry to immediately advise the CIC whether or not it can continue to function.

Among other things, the Court ruled that all Commissions must henceforth work in benches of two members each, one of whom will be a "judicial member" defined as a person "having a degree in law, having a judicially trained mind and experience in performing judicial functions."

Two, the CIC at the Centre must necessarily be a person "who is or has been the Chief Justice of a High Court or a judge of the Supreme Court." Three, the judicial members "shall be" appointed in "consultation

with the Chief Justice of India and the Chief Justices of the High Courts of the respective States."

The first person to be affected by this is Mishra himself. The CIC can no longer be a retired bureaucrat which is what he is. Mishra is unsure where he stands: "The Court says the ruling is to come into effect prospectively but we do not know if this means we have to wait until the existing Commissioners retire or the changes will come into effect immediately."

The CIC now has 11 posts, none of which is held by a member with a judicial background. Three posts are vacant. For the Commission to work in benches of two, it has to have at least 12 members. Of the 12, six have to be judicial members, which means a minimum of two of the existing members have to be replaced. But there are two problems here. All the members do not retire at the same time. Besides, it is nearly impossible under the RTI Act to remove an incumbent Commissioner.

"If the ruling can come into effect only after the members retire, what happens in the interim?", said Mishra. This is not all. Supreme Court Judges retire at 65 which is also the retirement age for CICs. As veteran RTI activist Subhash Chandra Agarwal asked: "How can a retired judge be appointed CIC?"

(The Hindu)

Orientation of Community Volunteers of RTI and MGNREGS

A one-day orientation of community volunteers who came from far flung rural areas of Niwai block, where there is no one to assist the rural people especially women, who are unaware of their entitlements under MGNREGS; for the purpose of facilitating the same, a one-day orientation of community volunteers was organised at the office of *Samuhik Vikas Sanstha*, Niwai, Tonk. In this orientation, more than 17 volunteers from 8 *gram panchayats* actively participated. There were discussions about the entitlements, formal ways of redressing complaints and using RTI as a tool against corruption. In the orientation volunteers also came to know about the MGNREGS Helpline and Ombudsman, and RTI Act, 2005.

Success Stories

Mate Got his Long Dues after 15 Months

Prahlad Sahai Meena, resident of Madhorajpura *Gram Panchayat* worked in MGNREGS during February-May 2011. He was working well as a mate in MGNREGS with the hope that he will get his hard earned money on time but things did not happen as expected. He got a cheque of ₹5167 dated November 02, 2011. He put up the cheque in Jaipur Thar Gramin Bank, a Government of India enterprise on the same day and got reply from the bank on December 19, 2011 that there is insufficient balance in the *Gram Panchayat* account and as a result the cheque was bounced. Prahlad lodged complaints at the *Gram Panchayat* and block level but nothing happened. Prahlad was present in the open house discussion held on August 20, 2012 and raised his issue before service providers and got assurance of resolution as usual. A new cheque of ₹5167 was issued in Prahlad's name since the earlier cheque got expired. Prahlad visited the BDO office to deposit the old cheque and collecting the new one. He deposited the new cheque in the Jaipur Thar Gramin Bank and this time he got the full amount on August 27, 2012.

Ganwar Villagers Got Second Mustroll in this Year

A *Gram Panchayat* named as Ganwar in Malpura block, got only 15 days employment under MGNREGS in the financial year of 2011-12. When the issue was taken up by the local CGCC and advocated at the local *Gram Panchayat* that how come the entire village can get only two weeks employment instead of 100 days. The *Gram Panchayat* official immediately sanctioned the new work for the village and till date villagers have got the employment of 30 days.

महिलाओं द्वारा मनरेगा 'हेल्पलाइन नम्बर' का बेझिझक उपयोग, जागरूकता की तरफ सकारात्मक पहल



राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिक परिवारों के पंजीकरण, रोजगार कार्ड निर्माण, रोजगार की मांग, रोजगार पाने, मजदूरी भुगतान, बैंक डाकघर में खाता खोले जाने आदि के संबंध में कोई भी समस्या या शिकायत के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय मनरेगा हेल्प लाइन की व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इस हेल्पलाइन का नंबर '1800 180 6606' रखा गया है तथा इन नंबरों पर किसी भी स्थाई फोन या मोबाईल फोन से लम्बी व कितनी भी बार बात करने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। यह पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। विशेष रूप से सभी मोबाईल कंपनियों को निर्देशित किया गा है कि वो अपने ग्राहकों को इस नंबर की सेवाये मुफ्त में प्रदान करें।

चूँकि उपरोक्त हेल्पलाइन द्वारा नरेगा की सेवायें सहजता से व घर बैठे प्राप्त की जा सकती है, इस हेतु सर्वप्रथम मनरेगा हेल्पलाइन पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी तथा शिकायत नंबर, जो कि हेल्पलाइन कर्मियों द्वारा दिये जाते हैं, प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार प्राप्त शिकायत नंबरों को सावधानीपूर्वक रखना चाहिए क्योंकि इन नंबरों से ही दर्ज शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में हेल्पलाइन पर आगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

'सिटीजन्स अप' परियोजना के अन्तर्गत जयपुर व टोंक जिलों में मनरेगा मजदूरों को, विशेष रूप से महिलाओं को हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारीयां प्रदान की जा रही है जिसके फलस्वरूप वो अपनी समस्याओं को सीधे दर्ज करवा रही है और इनको मनरेगा की सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल रहा है। महिलाओं के लिए चूँकि बहुत सी समस्यायें रहती हैं, वो सरकारी दफ्तरों व ग्राम पंचायतों के बार-बार चक्कर नहीं लगा सकती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं में अपनी शिकायत उठाने के लिए बहुत से दबावों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त हेल्पलाइन से महिलाओं को इन सभी समस्याओं से आसानी से निजात मिल रही है।

फागी निवासी नाथी देवी, जो कि मनरेगा में पानी पिलाने का काम कर रही है, वो उनको मिल रही दैनिक मजदूरी से संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार उनको प्रतिदिन 133 रुपये मिलने चाहिए, मगर उनके पैसे कट कर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत मनरेगा हेल्पलाइन पर करवाई और उनकी समस्या पर सकारात्मक कार्यवाही हुई, जिससे उनको आत्म संतुष्टि मिली। इस प्रकार कई सारी महिलाएं अब इस हेल्पलाइन को अपने लिए एक बहुत बड़ा सहारा मान रही हैं।

मनरेगा मेटों को दिया कार्यकुशलता का प्रशिक्षण

मनरेगा के सफल क्रियान्वयन में मेटों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर परियोजनान्तर्गत माधोराजपुरा ग्राम पंचायत में मेटों को एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मेटों को उनकी सकारात्मक भूमिका की जानकारी प्रदान की गई एवं बताया गया कि मेट मनरेगा मजदूरों के एक सखा या दोस्त की तरह होता है जो कि उनको कार्यस्थल पर कार्य आवंटन, कार्य मापन, कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण, जोब कार्ड से सम्बन्धित सूचनाओं का इन्द्राज करने व मनरेगा के विभागीय आदेशों व नियमों की समय-समय पर मनरेगा मजदूरों को जानकारी प्रदान करने आदि में एक सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। उन्हें आगे बताया गया कि मेट, समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में भी मनरेगा मजदूरों व प्रशासन के बीच सेतु का कार्य भी करता है। उन्हे विभागीय शिकायत निवारण प्रक्रियाओं व मनरेगा की हेल्पलाइन के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण में भाग ले रहे मेटों ने भी अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में मेटों को विभागीय प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, अतः उन्हें इनकी प्रभावी भूमिका के बारे में इस प्रशिक्षण से पहले पता नहीं था। अब वो प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारीयों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगे तथा इनकी जानकारी आम आदमी को भी प्रदान करेंगे।

मेटों ने अपनी समस्याओं को मनरेगा हेल्पलाइन पर भी रजिस्टर करवाया। प्रशिक्षण में लगभग 15 मेटों ने भाग लिया तथा प्रशिक्षण के आयोजन में स्थानीय स्तर पर परियोजना से जुड़े सी.जी.सी. सुरेश सैनी ने योगदान दिया।

मनरेगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नागौर में

मनरेगा में भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले नागौर में सामने आये हैं, जहां 74 मामले दर्ज किये गये हैं। इसके बाद भरतपुर में 55 और दौसा में 48 मामले बने हैं। इनके सहित प्रदेश भर में 545 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते रोजगार दिलाने के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के बोझ तले दबकर रह गई है। इस योजना में भ्रष्टाचार में जन प्रतिनिधियों के साथ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अजमेर जिले के जवाजा पंचायत के मामलों की बेर ग्राम पंचायत में तो भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सजा भी सुना दी है। भ्रष्टाचार में अनियमित सामग्री की खरीद करना, मृत महिला के नाम से भुगतान उठाना, मंजूर राशि का कार्य नहीं करवाकर गबन करना, पोस्ट मास्टर द्वारा 20 लाख रूपए के भुगतान में अनियमितता बरतना तथा सरपंच द्वारा फर्जी हस्ताक्षर से 11 लाख रूपए निकालना जैसी गतिविधियों की गई।

मनरेगा में गबन पर 7 साल की सजा

‘मनरेगा’ में घपलेबाजी पर सख्ती दिखाते हुए अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र की एक कोर्ट ने जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालातों की बेर में मनरेगा कार्य में करीब 1.40 करोड़ से अधिक राशि का गबन कर राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में मंगलवार को सरपंच व सहायक अभियंता सहित चार अभियुक्तों को सात-सात साल कारावास व 50 हजार रूपए जुर्माना तथा महिलाकर्मि सहित दो अन्य अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कारावास व दस-दस हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है।

राज्य सरकार की ओर से कराए गए विशेष सामाजिक अंकेषण में उक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2008-09 में मनरेगा के तहत हुए 28 कार्य में अनियमितता कर राशि उठाने का मामला उजागर हुआ था। इससे सरकार को एक करोड़ 31 लाख 61 हजार 893 रूपए का नुकसान होना पाया गया। इस मामले में टॉडगढ़ थाना पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने सुनवाई के बाद अभियुक्तों को उक्त सजा सुनाई।

In Media

मनरेगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नागौर में
प्रदेश में 545 मामले दर्ज, मामलों में जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी भी शामिल
वि.स. जयपुर | मनरेगा में भ्रष्टाचार कैसे-कैसे भ्रष्टाचार करा रहे रायशुमारी

मनरेगा में गबन पर 7 साल की सजा
सरपंच व सहायक अभियंता सहित चार को सात व दो अन्य को तीन साल का कारावास
जयपुर/भारत (अजमेर) | 28 कार्य में अनियमितता कर उठाने का मामला उजागर हुआ

1 पैसे रोज की मजदूरी देकर कराया काम
अजमेर की तीन ग्राम पंचायतों में इस खुलासे के बाद उठे सवाल
पत्रिका ने किया अन्वेषण

पूर्व विधायक रमेश खींची नरेगा श्रमिक
अकुशल श्रमिक के रूप में जारी जॉब कार्ड में पत्नी और बेटे का भी नाम
भारत न्यूज़ | अजमेर

चुनेंगे मनरेगा लोकपाल
राज्य सरकार ने प्रत्येक 20 की लोकपाल चुनने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मनरेगा के कार्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल चुने जाएंगे।

कई जगह पद खाली
राज्य सरकार ने प्रत्येक 20 की लोकपाल चुनने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मनरेगा के कार्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल चुने जाएंगे।

महिला श्रमिकों को मिले पूरी मजदूरी
राज्य सरकार ने प्रत्येक 20 की लोकपाल चुनने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मनरेगा के कार्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल चुने जाएंगे।

अफसरों की गलती 75 लाख का बोझ
आरटीआई के सात साल पूरे
जयपुर | जापुर@patrika.com

महानरेगा में 34 लाख का गबन
विवास्विंग फण्ड से कई गुना ज्यादा राशि एकमुष्ट दी और जांच नहीं कराई
जयपुर | गिले की इलाक़ा विकास समिति की अन्वेषण कर पकड़ने में जमाने के कर्म और मजदूरी में 34 लाख रुपए का गबन होने का भ्रष्टाचार हुआ है। इसका खुलासा होने के बाद विवास्विंग फण्ड से कर्मचारियों, तीन लाख मजदूरी के पत्र, कार्य पूर्ण हो गए। लोकपाल चुनने के

कार्यशाला आयोजित
सामूहिक विकास संस्थान व कट्स इंटरनेशनल जयपुर के संयुक्त प्रयासों में सिटीजन्स अपरिचयना अन्तर्गत गुरुवार को मनरेगा के मददों पर कार्यशाला हुई।

जुर्माने का वाफा
अप्रैल 07 से मार्च 08 तक- 34 मांगतों में 70 हजार रुपए
अप्रैल 08 से मार्च 09 तक- 38 मांगतों में 2.26 लाख रुपए
अप्रैल 09 से मार्च 10 तक- 148 मांगतों में 16.83 लाख रुपए
अप्रैल 10 से मार्च 11 तक- 357 मांगतों में 26.29 लाख रुपए
अप्रैल 11 से मार्च 12 तक- 130 मांगतों में 18.97 लाख रुपए
1 अप्रैल से 30



CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)

D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Ph: 91.141.2282062, 2282821, Fx: 91.141.4015395, 2282485

Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

In Partnership With: Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC